भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3147
(30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत राज्यों को जारी की गई अपर्याप्त निधि

3147. श्री नाम नाथ ठाकुर:
श्रीमती छाया वर्मा:
चौधरी सुखराम सिंह यादव:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 'मनरेगा' के मद के अंतर्गत राज्यों को कम धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है जिसके कारण मनरेगा मजदूरों को काम के अवसर कम मिल रहे हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान मनरेगा के तहत जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए मनरेगा के कार्यदिवसों को बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि मजदूरों को अपने गांवों/स्थानीय इलाकों में कार्य मिल सके?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में (26.03.2022 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार की मांग करने वालो में से 99.53% को रोजगार का प्रस्ताव दिया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य निधियों की रिलीज के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत करते हैं। राज्यों को निधियों की रिलीज निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और केंद्र सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मंत्रालय "स्वीकृत" श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियों, समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और राज्य द्वारा संगत दस्तावेजों की प्रस्तुति के अधीन दो खेपों में निधियां आवधिक रूप से रिलीज करता है, जिनमें से प्रत्येक खेप में एक या इससे अधिक किस्तें शामिल होती हैं।

(ख): विगत पांच वित्तीय वर्षों 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रम कार्य करने के लिए इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीगृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। इसके अलावा, सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों तक के अतिरिक्त अकुशल मजदूरी रोजगार का प्रावधान है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के अंतर्गत गारंटी की अवधि से अतिरिक्त श्रम दिवसों का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान अपनी स्वयं की निधि से कर सकती हैं।

*****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 30.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3147 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत पांच वित्तीय वर्षों 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि (रुपए करोड़ में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	3776.38	5127.63	6684.54	7311.48	10365.48
2	अरुणाचल प्रदेश	130.91	206.80	163.25	107.57	348.95
3	असम	1156.60	1123.67	1050.37	1476.24	2514.55
4	बिहार	1569.14	2468.88	2891.94	3283.88	6647.01
5	छत्तीसगढ़	2231.94	2898.85	3082.94	2792.41	4144.19
6	गोवा	4.26	0.56	0.49	2.17	0.91
7	गुजरात	643.24	825.05	1060.80	775.84	1513.75
8	हरियाणा	287.71	301.41	356.25	345.27	776.67
9	हिमाचल प्रदेश	388.61	586.84	778.74	615.37	963.69
10	जम्मू और कश्मीर	756.26	1254.18	620.36	825.62	1166.63
11	झारखंड	1679.13	1352.65	1538.06	1311.15	3489.84
12	कर्नाटक	2258.65	2956.32	3040.25	5546.20	5605.01
13	केरल	1582.49	1854.06	2354.74	3541.12	4300.32
14	मध्य प्रदेश	3231.83	3768.90	4681.41	4825.63	9225.40
15	महाराष्ट्र	1647.09	1858.29	2014.64	1723.25	1639.78
16	मणिपुर	343.70	157.79	269.60	610.75	737.57
17	मेघालय	740.69	870.60	786.14	1026.64	1286.41
18	मिजोरम	144.51	200.81	392.37	526.74	576.81
19	नागालैंड	501.53	1104.93	138.86	298.54	483.82
20	ओडिशा	1895.27	2198.35	2218.21	2488.22	5409.50
21	पंजाब	475.81	572.82	598.55	776.89	1287.86
22	राजस्थान	4818.17	4728.28	5492.31	6891.74	9129.03
23	सिक्किम	132.63	105.71	97.43	83.66	101.46
24	तमिलनाडु	4552.78	5831.66	4951.66	5447.80	8941.26
25	तेलंगाना	1793.85	2539.20	2958.17	2246.78	4163.57
26	त्रिपुरा	1016.29	404.41	442.54	740.05	1199.93
27	उत्तर प्रदेश	3677.82	3691.78	5464.65	6240.17	12257.35
28	उत्तराखंड	514.35	716.85	610.05	470.61	908.89
29	पश्चिम बंगाल	5448.80	5927.03	7358.38	8458.21	10993.56
30	अण्डमान और निकोबार	8.01	9.66	7.62	5.84	4.86
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	4.84	0.00	0.00
32	लक्षद्वीप	0.00	0.27	0.16	0.24	0.00
33	पुदुचेरी	3.27	15.69	14.75	17.04	27.13
34	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	22.49
	कुल	**47411.72**	**55659.93**	**62125.07**	**70813.12**	**110233.65**

*****